रस्सी के सहारे नाले को पार करने में युवक की हुई मौत

सांवेर विधानसभा क्षेत्र में अनेक जगह पर नदियों नालों पर पुल नहीं

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र की हालत मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ों होती नजर आ रही हैं। आज भी सांवेर विधानसभा क्षेत्र में अनेक जगह पर नदियों नालों पर पुल नहीं होने के कारण ग्रामीण जन एवं किसान नदी, नालो को कहीं ड्रम के सहारे पार कर रहे हैं तो कहीं पर तैर कर पार कर रहे हैं। इसके चलते वे अपनी जान से भी हाथ गवां रहे हैं।

सांवेर विधानसभा में आए दिन लोग गंवा रहे जानः पूर्व जनपद सदस्य एवं कांग्रेस नेता हंसराज मंडलोई ने बताया मंगलवार को सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिलोटिया में एक 40 वर्षीय युवा प्रेम नारायण पिता नागजी राम पटेल की रस्सी के सहारे नाले को पार करते समय मौत हो गई। इसी नाले में विगत सालों में एक और युवक की मौत हो गई थी, तो सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खाचरोड गांव में आज भी किसान एवं आसपास के ग्रामीण खान नदी के गंदे पानी को तैर कर पार करते हैं लेकिन वहां पर भी आज तक लगातार आंदोलन करने के बाद पुल का निर्माण नहीं हुआ है वहां भी एक युवक पिछले साल अपनी जान से हाथ धो बैठा है। इसी प्रकार सांवेर विधानसभा क्षेत्र के सिमरोल गांव में भी जुगाड़ की नाव पर शिप्रा नदी को पार करने के चक्कर में अनेक ग्रामीण जन एवं स्टूडेंट्स दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं।

पहुंचा रहे हैं भूमाफिया को फायदा

हंसराज मंडलोई ने मंत्री और विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए के लिए 4.30 करोड़ का डैम शिप्रा नदी में बनवा दिया जहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं थी। निष्क्रियता एवं भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए अपने विभाग के माध्यम से करोड़ों रुपए के डैम एवं पुलिया बनवा देता है वही व्यक्ति जहां पर लोग रस्सी या तैर कर नदी को पार करते हैं या छोटी-छोटी मासूम बच्चियां ड्रम के सहारे नदी को पार करके स्कूल जाती है वहां की अनदेखी कर दी जाती हैं। भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए जाते हैं।

रैकी कर लूटा था कलेक्शन एजेंट को

चार आरोपी गिरफ्तार, लूट का माल जब्त

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

तेजाजीनगर पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ सवा दो लाख रुपए लूट की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रैकी कर वारदात की और नकदी का बंटवारा कर लिया था।

टीआई आरडी कानवा के अनुसार मंगलवार को फरियादी फरियादी योगेन्द्र पिता मुकेश राठौर (22) नि. ग्राम बागेर तहसील आष्टा हाल मुकाम डबल चौकी ने शिकायत की गई थी कि वह भारत फाइनेंस इन्क्लूजन लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है, जिसका कार्यालय डबल चौकी देवास में स्थित है। फरियादी गत 28 अक्टूबर को ग्राम असरावद खुर्द व ग्राम उमरीखेडा से स्व सहायता समूह के रुपये का साप्ताहिक कलेक्शन कर ब्रांच में जमा करने जा रहा था। तभी दोपहर 1 बजे पल्सर से दो अज्ञात युवकों द्वारा ओवरटेक कर सर्विस रोड नेमावर चौराहा पर रोका और एक बैग, जिसमें कलेक्शन के 2 लाख 21 हजार 184 रुपये के साथ टेबलेट, बायोमेट्रिक मशीन व समूह के लोन संबंधी दस्तावेज रखे थे, लूटकर भाग निकले। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस ने धारा 394,341 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित की। टीम को दौराने विवेचना अज्ञात आरोपियों के संबध में सीसीटीवी फुटेज के जरिये संदिग्धों के हुलिये की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर मुखबिर सक्रिय किये गये। टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बुधवार को आरोपी अजय नाथ उर्फ मजनू पिता राजवीर नाथ नि. लक्ष्मण खेडी थाना सांवेर हालमुकाम भूसामंडी रेडीसन चौराहा, राजेश पिता मानसिंह ठाकुर नि. सिलावट बाडी सारंगपुर हाल पता आरटीओ के पास नायता मुण्डला, सचिन पिता वकील नाथ नि. बरखेडा कोतापाई थाना नाहर दरवाजा जिला देवास हाल मुकाम मालवीय मोहल्ला नायता मुण्डला व राणा उर्फ राकेश पिता मदनलाल नाथ नि. सपेरा कालोनी उमरीखेडा को पकड़ा गया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बाइक व लूटे गये रुपये, टेबलेट, बायोमेट्रिक मशीन व समूह लोन संबंधी दस्तावेज कुल मश्रुका जप्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। आरोपियों के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी प्राप्त कर, उनके द्वारा की गई अन्य वारदातों के मामलों की पूछताछ की जा रही है।

वारदात योजना बनाकर की थी

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बनाया कि वारदात योजना बनाकर की थी, जिसमें आरोपी राणा नाथ ने फरियादी की रैकी की और साथी सचिन के माध्यम से आरोपी अजय तथा राजेश राठौर को बुलवाकर फरियादी को दूर से दिखाकर पीछा कर वारदात करने भेजा। लूट के बाद देवास नाका पर चारों ने मिलकर बंटवारा रुपए का बंटवारा कर लिया। कार्यवाही में थाना प्रभारी आरडी कानवा , उनि अमृतलाल गवरी, प्रआर विजेन्द्रसिंह, प्रदीप पटेल, नितिन बिलौरिया, आर. नारायण, सौरभ व नितीश की भूमिका रही।

चंदन नगर में गैर हाजिरी सफाई कर्मियों के कारण सड़कों पर बिखरा कचरा

नहीं हो रही थी सफाई, पार्षद की शिकायत पर पहुंचे अपर आयुक्त

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

सफाई में लगातार छह बार नंबर वन आने के बाद भी शहर के कई इलाके ऐसे हैं, जहां स्वच्छता को लेकर नगर निगम ध्यान नहीं देता है और अक्सर यहां सड़कों किनारे कचरे के ढेर दिख जाते हैं। ऐसे ही इलाकों में चंदन नगर भी शुमार होता है। यहां पिछले कई दिनों से सड़कों की नियमित सफाई नहीं हो रही थी औ न ही कचरा उठ रहा था।

इस पर क्षेत्र के पार्षद पति ने निगम अधिकारियों को शिकायत की। बुधवार को जब स्वच्छता मिशन प्रभारी अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन और अधीक्षणयंत्री महेश शर्मा क्षेत्र में हकीकत जानने पहुंचे। यहां उन्होंने शिकायत को सही पाया और देखकर हैरान रह गए कि देश के सबसे स्वच्छ शहर के इलाके के यह हाल भी हो सकते हैं।

आधे सफाईकर्मी मिले गैर हाजिरः अपर आयुक्त श्री जैन ने वार्ड 2 का निरीक्षण के बाद मौके पर हेल्थ अफसर सुमित अस्थाना, सीएसआई विकास मिश्रा, सहायक सीएसआई लोधी, सहायक दरोगा दुष्यंत कल्याणे, एनजीओ वार्ड प्रभारी सियासत खान को मौके पर बुलाया और सभी को फटकार लगाई। उन्होंने हाजिरी रजिस्टर चेक किया तो जिन सफाईकर्मियों को ड्यूटी पर होना था, उसमें से आधे गायब मिले। इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि जो कर्मचारी लगातार छुट्टी पर हैं, उन्हें हटाएं और शाम तक पूरे क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाकर कचरा उठाएं।

ऐसे ही हालत खजराना के वार्डों

जिस प्रकार से चंदन नगर में सड़कों पर कचरा लोग फेकते हैं और नियमित सफाई नहीं होती है, वैसे ही हालत खजराना के वार्ड 39 के हैं। यहां भी लोगों के घरों पर प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा वाहन नहीं पहुंचता। नियमित रूप से कालोनियों की सड़कों की सफाई नहीं होती। लोग सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, लेकिन निगम के जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं करते न ही शिकायत के बाद स्पॉट फाइन करते हैं। सड़कों पर पड़े कचरे के ढेर भी शिकायत के बाद उठाए जाते हैं। कालोनी के अंदर न तो दरोगा और न ही सीएसआई और न ही हेल्थ ऑफिसर कभी निरीक्षण के लिए आते हैं। केवल प्रमुख सड़कों की ही नियमित सफाई की जाती है।

पुलिस पंचायत बनी बुजुर्ग पीड़ितों का सहारा

आज 20 मामलों से 11 का निराकरण किया, 5 को अगली तारीख दी

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रति बुधवार पुलिस पंचायत में सीनियर सिटीजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं, जिनकी पुलिस अधिकारी तत्परता से निराकरण कर रहे हैं। जिन मामलों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, उन्हें अगली तारीख पर बुलवाया जा रहा है। इसके बाद समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

एडिशनल डीसीपी डॉ प्रशांत चौबे द्वारा स्थापित पुलिस पंचायत में काउंसलर डॉ आरडी यादव, पुरुषोत्तम यादव, सहायक काउंसलर सनि मोदी और संजय सांवरे के द्वारा लगातार बुजुर्गों की समस्याओं के निराकरण में सेवारत है। एडिशनल डीसीपी चौबे ने बताया कि पंचायत में 20 मामले पहुंचे थे, जिनमें से 11 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 5 प्रकरणों में अगली तारीख दी गई है। इसके साथ ही 11 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। एडीसीपी डॉ चौबे ने बताया कि एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन प्रोफेसर महिला के लिए पुलिस पंचायत नीचे लगी दरअसल बुजुर्ग महिला सीढ़ी चढने में असमर्थ थी तो नीचे ही बैठक बस बैठक की व्यवस्था कर सुनवाई की गई। खजराना चौराहा के पास रहने वाली महिला के पति डॉक्टर थे, उनकी मृत्यु के बाद पुत्र की प्रताडना से परेशान होकर महिला पंचायत में पहुंची। आनावेदक की उपस्थिति हेतु अगले बुधवार का समय तय किया गया।

तीन साल पहले एक लाख रुपए हजम कर लिए

वहीं आजादनगर थाना क्षेत्र की एक विधवा महिला के बड़े पुत्र द्वारा है तीन साल पहले एक लाख रुपए हजम कर लिए तथा भरण पोषण भी नहीं देता था। वहीं हम्माल बेटे ने अपनी मजबूरी बताते हुए मां से उधार लिए पैसे प्रति माह देने का वादा किया। इसी तरह तुकोगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिटायर्ड इंजीनियर का किराए पर दिया ऑफिस किराएदार के अनुबंध में उल्लेखित समय अवधि के पश्चात भी किराएदार के द्वारा खाली नहीं किया जा रहा था। पुलिस पंचायत मैं काउंसलिंग के पश्चात किराएदार द्वारा 31 दिसंबर के पूर्व खाली करने का लिखित आश्वासन दिया। गांधीनगर क्षेत्र के रिटायर्ड पुलिस आरक्षक को पुत्र द्वारा शराब पीकर प्रताड़ित करना एवं भरण पोषण भी नहीं देना और उसके स्वयं के बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाने पर पुलिस पंचायत की समझाइश के बाद बेटे के द्वारा शराब नहीं पीने का संकल्प लिया गया।

केमिकल से भरे टैंकर में लीकेज, छींटों से राहगीर झुलसे

मांगलिया इलाके में हुई घटना

इंदौर। मांगलिया इलाके में केमिकल लेकर जा रहा टैंकर लीक हो गया। केमिकल के छींटे लगने से कई लोग झुलस गए। कुछ के कपड़े भी जल गए। पुलिस ने चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिप्रा पुलिस के मुताबिक घटना सांवेर रोड़ मांगलिया की है। फरियादी विजय हरिशंकर प्रजापत के अनुसार मंगलवार शाम करीब 5 बजे वह पत्नी संगीता को लेकर घर जा रहा था। कुछ देर के लिए त्रिलोकचंद जैन की किराना दुकान पर रुक गया। तभी तेज रफ्तार में टैंकर निकला और शरीर पर छींटे लगे। विजय को लगा पानी का टैंकर है। थोड़ी देर बाद शरीर में जलन होने लगी। जिस जगह छींटे लगे थे वहां कपड़ों में छेद हो गए। शरीर की जलन देख चौंक गया। संगीता के शरीर पर भी जख्म के निशान थे। वह अन्य लोगों के साथ थाने पहुंचा तो पता चला वहां दिव्यांश पिता वीरेंद्र, भूमिका पिता संजय यादव, वैष्णवी पिता नवल भी झुलसी है। दिव्यांश को तो मुंह, छाती और गले पर जख्म थे। भूमिका और वैष्णवी के हाथ में निशान थे। पुलिस ने सभी का मेडिकल करवाया और चालक के खिलाफ केस दर्ज किया।

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर
(अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक–जी–7/जी–11)
प्रकरण क्रमांक /0261/बी–121/2022–23
इन्दौर, दिनांक 31.10.2022

समाचार विज्ञप्ति

1. श्री दीपक गायकवाड पिता श्री बालकृष्ण गायकवाड
2. श्री अमित गायकवाड पिता श्री बालकृष्ण गायकवाड
3. श्री चेतन गायकवाड पिता श्री बालकृष्ण गायकवाड
4. कु. सीमा गायकवाड पति श्री चेतन गायकवाड
5. कु. श्रद्धा गायकवाड पति श्री दीपक गायकवाड

पांचों का पता– आर/ओ–73 स्लाईस नं. 4, सेक्टर ई, अरण्य नगर, विजय नगर, इंदौर 452001

––00––

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी आदित्य बिरला हाउसिंग फायनेंस लि. पता–बेंचमार्क बिजनेस पार्क ए–3, स्कीम नं. 54, पीयू–4, अपोजिट सत्यसांई स्कूल, विजय नगर इन्दौर (म.प्र.) 452010 प्राधिकारी द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति– प्लॉट नं. एन–550, सैक्टर ई अरण्य नगर विजय नगर इंदौर म.प्र. 452010 कुल क्षेत्रफल 630 वर्ग फीट पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष नम्बर जी–7/जी–11 में दिनांक 09/11/2022 को दोपहर 3:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

ज्वेलरी देखते-देखते ग्राहक ने दौड़ लगा दी

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

नंदानगर तीन पुलिया स्थित सराफा व्यापारी की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचे युवक ने जेवरात लेकर दौड़ लगा दी। दुकानदार व कर्मचारी उसके पीछे दौड़े। करीब 100 मीटर दूर चेकिंग कर रही पुलिस को लोगों ने बताया भी, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं किया। वारदात कैमरे में रिकार्ड हो गई है। इस घटना के बाद पुलिस के रवैये को लेकर व्यापारी नाराज हैं। परदेशीपुरा पुलिस ने व्यापारी जितेंद्र सामंत की शिकायत पर केस दर्ज किया है। व्यापारी की दुकान में मंगलवार दोपहर एक युवक खरीदी के लिए आया और फिर लौट गया। शाम 6 बजे वह फिर आया और जेवर दिखाने के लिए कहा। महिला सहित दो कर्मचारियों ने उस जेवरात दिखाए। इस बीच अन्य ग्राहक भी आ गए। कुछ देर जेवर देखने के बाद युवक अचानक शोरूम से बाहर निकला और दौड़ लगा दी। व्यापारी व कर्मचारी भी उसके पीछे दौड़े, लेकिन आरोपी नंदानगर की ओर भाग गया। पास में ही तीन पुलिया पुलिस चौकी है, जहां पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे थे। लोगों ने उन्हें चोरी के बारे में बताया, लेकिन पुलिस उसके पीछे जाने के बजाए दुकान पर पहुंची और थाने जाकर केस दर्ज कराने की सलाह दे दी। जेवरात की कीमत करीब 16 हजार है।

युवती का मोबाइल लूट ले गए बाइक सवार बदमाश

जूनी इंदौर इलाके में एक युवती का मोबाइल बाइक सवार बदमाश लूट कर भाग निकले। पुलिस फुटेज के आधार पर ही उनकी तलाश में जुटी हुई है। मामला खातीवाला टैंक के नजदीक का है। पुलिस को फरियादी साक्षी भावसार निवासी लोहा मंडी पुलिस लाइन ने बताया कि रात के समय अपने घर जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश उसका मोबाइल छीन ले गए । साक्षी ने शोर भी मचाया लेकिन बदमाश तब तक रफूचक्कर हो गए। पुलिस ने रात में ही प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी।

चाकू दिखाकर चेन लूटीः गुलाबबाग कालोनी देवास नाका के दिलीप पिता गणेशराम सोनी (63) घर से देवास नाका की तरफ जा रहे थे। वे मेट्रो शोरूम के सामने खड़ी मैजिक में बैठ गए। मैजिक का क्लीनर आया और उन्हें चाकू अड़ाकर जेब से सोने की चेन और पैसे छन लिए। इसके बाद आरोपी ने बुजुर्ग को गाड़ी से उतारा और भाग निकला। लसूड़िया पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

हथियार भरी कार छोड़कर भागने वालों की 3 राज्यों में तलाश

इंदौर। पुलिस टीम को टक्कर मारकर हथियारों से भरी कार छोड़कर भागने वाले बदमाशों की तलाश में क्राइम ब्रांच ने तीन राज्यों में डेरा डाल रखा है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र के अनुसार पिछले दिनों पंजाब के बदमाशों को इंदौर पुलिस ने पकड़ा था। इन्हीं बदमाशों से सूचना मिली थी कि इनकी एक और टीम हथियारों की खेप लेने आ रही है, जिसके आधार पर घेराबंदी की गई थी। सोमवार को राऊ गोल चौराहे पर पुलिस टीम ने हरियाणा पासिंग एक कार की घेराबंदी की तो कार सवार बदमाशों ने कार दौड़ा दी। पुलिस टीम ने भी पीछा शुरू किया और लंबी भागमभाग के बाद आरोपी कार को छोड़कर भाग निकले थे। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से 40 पिस्टल, 36 मैगजीन और पांच जिंदा कारतूस मिले हैं। कार हरियाणा के ही एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। पुलिस ने अब बदमाशों की धरपकड़ के लिए न केवल मप्र बल्कि हरियाणा और यूपी में भी डेरा डाल रखा है । हरियाणा और उप्र की पुलिस की भी मदद आरोपियों को पकडने के लिए ली जा रही है।

ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
वाणिज्यिक कार्यालय : 9 एमपी नगर, पहली स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, टीनूपुर-641607 दूरभाष संख्या 04212221144 कॉर्पोरेट कार्यालयः सी/515, कनकिया ज़िलियन, एलबीएस रोड और सीएसटी रोड का जंक्शन बीकेसी एनेक्सी, इक्विनॉक्स के पास, कुर्ला (वेस्ट), मुंबई-400070, दूरभाष 022-26544000.
[परिशिष्ट IV–ए] नियम [नियम 8(1),8(6) और 6(2) के परंतुक देखें]

चल और अचल संपत्ति के कब्ज़े और बिक्री के लिए ई–नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना
ई–नीलामी की तिथि : 05 दिसंबर, 2022

सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002 के नियम 8 (1), नियम 8 (6) सपठित 6(2) के परंतुक के अनुसार चल एवं अचल संपत्तियों कब्जे एवं विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, और सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002 (2002 का 54) ("सरफेसी अधिनियम, 2002") की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में विधिवत पंजीकृत है; जिसका सीआईएन नंबर यू67100टीजेड2014पीटीसी020363 और इसका पंजीकृत कार्यालय 9, एमपी नगर, 1 स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर–641607 और कॉर्पोरेट कार्यालय सी/515, कनकिया ज़िलियन, एलबीएस रोड का जंक्शन और सीएसटी रोड बीकेसी एनेक्स इक्विनॉक्स के पास, कुर्ला (वेस्ट), मुंबई–400070 पर है, ओमकारा पीएस–26/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। इसने अभिहस्तांकन समझौता दिनांक 30–09–2021 के अनुसार सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002की धारा 5 के तहत पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पीएचएफएल) (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस के रूप में जाना जाता है) से अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ऋणी के उधारकर्ता (ओं)/सह–उधारकर्ता (ओं)/ गिरवीकर्ता (ओं)/ के सभी अधिकार, शीर्षक और हितों को प्राप्त कर लिया है।

और जबकि, सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएचएफएल) के अधिकृत अधिकारी ने दिनांक 23.06.2021 को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तारीख तक आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि सहित निम्न दर्शाई राशि और उस पर अर्जित ब्याज/अप्राप्त ब्याज, संविदात्मक दर (दरों) के साथ भुगतान हेतु आमंत्रित किया गया है।

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता धारा 13 (2) सरफेसी अधिनियम के तहत दिनांक 23.06.2021 के नोटिस के अनुसार राशि चुकाने में विफल रहे और ऋण के उक्त असाइनमेंट के अनुसार ओएआरपीएल ने पीएचएफएल के अधिकारों को प्राप्त किया और बकाया राशि और पूर्ण वसूली के हितों का स्वत्वधिकारी बन गया। ओंकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, धारा 13 की उप धारा (12) के तहत विधिवत नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इंदौर द्वारा जारी आदेश दिनांक 11–09–2022 के अनुसार सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 सपठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 अक्टूबर, 2022 को संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

तदनुसार, ट्रस्टी के रूप में ओएआरपीएल बकाया वसूल करने और प्रतिभूतियों को लागू करने का हकदार है, निम्न दर्शाये संबंधित उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं से ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सुरक्षित लेनदार के रूप में देय संबंधित कॉलम में नीचे दिखाई गई राशि की वसूली के लिए जिसे सरफेसी अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पढ़े जाने वाले धारा 13 (2) और (4) के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों और शक्तियों के तहत **05 दिसंबर, 2022 को अपराह्न 03.00 बजे "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" और "बिना सहारा के आधार"** पर विक्रय किया जाएगा; **(बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय 05 दिसंबर, 2022 अपराह्न 5.00 तक है।)**

बकाया देय राशि वाले और मांग नोटिस और कब्जे के साथ उधारकर्ता (ओं)/सह–उधारकर्ता का विवरण निम्नानुसार है :–

ऋणकर्ता /सह–ऋणकर्ता का नाम	शेष राशि रू. में	माँग सूचना तिथि	भौतिक अधिग्रहण की तिथि
1) राज शबदानी (उधारकर्ता / गिरवीकर्ता) और 2) अवनि शबदानी (सह–उधारकर्ता)	रु. 28,37,404/– (रूपये अट्ठाईस लाख सैंतीस हजार चार सौ चार मात्र) 23–06–2021 की स्थिति के अनुसार और उस पर तिथि तक अनुबंधात्मक ब्याज और अन्य शुल्क।	23–06–2021	28–10–2022

आरक्षित मूल्य और संपत्ति की बयाना राशि का उल्लेख नीचे संबंधित कॉलम में किया गया है।

सुरक्षित संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
फ्लैट नंबर 205, द्वितीय तल ब्लॉक–सी (बरसाना) शुभ लाभ द्वारका में, भूमि स्थित सर्वेक्षण संख्या 69/8, ग्राम पिपलिया कुमार तहसील और जिला इंदौर, म.प्र.–452001, मापन 786 वर्ग फीट	रु. 25,25,000/–	रु. 2,52,500/
निरीक्षण दिनांक और समय	दिनांक : 29–11–2022, समय : प्रात : 11 : 00 –दोपहर 4 :00 तक	

1. धरोहर राशि के भुगतान की अंतिम तिथि, और सी/515, कनकिया ज़िलियन, एलबीएस रोड के जंक्शन, सीएसटी रोड बीकेसी एनेक्सी, इक्विनॉक्स के पास, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई पर अधिकृत अधिकारी को बोली फॉर्म और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 02–12–2022 शाम 6 बजे तक है।
2. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉग इन आईडी और पासवर्ड अपलोडिंग डेटा बनाने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई–नीलामी सेवा प्रदाता "मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" से संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन हेल्पलाइन : +91 7291981124/25/26 हेल्पलाइन ई–मेल आईडी : support@bankeauctions.com या श्री हरीश गौड़ा, मोबाइल 95945 97555 ई मेल : hareesh.gowda@c1india.com /maharashtra@c1india.com पर संपर्क करें।
3. संपत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ या संपत्ति अनुसूची के निरीक्षण के लिए इच्छुक व्यक्ति संबंधित अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं – कल्पेश ओझा (मोबाइल–9769825323), ई–मेल: kalpesh.ojha@omkaraarc.com या ऊपर दर्शाये गए पते पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया http://omkaraarc.com/auction.php में दिए गए लिंक को देखें।

नीलामी के नियम और शर्तें : बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार (ओएआरपीएल) की वेबसाइट http://omkaraarc.com/auction.php या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauctions.com में दिए गए लिंक को देखें।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित 9(1) और 6(2) के तहत विक्रय के लिए वैधानिक नोटिस

यह नोटिस सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) और 6(2) के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता (ओं) को कम से कम 30 (तीस) दिनों का अनिवार्य नोटिस भी है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान, उन्हें उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि और समय पर ई–नीलामी के माध्यम से नीलामी / बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित करते हुए, यदि वे चाहें तो संपत्ति को भुनाने के लिये बिक्री के बंद होने से पहले किसी भी समय ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान में चूक के मामले में, संपत्ति अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार के विवेक पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से विक्रय की जाएगी।

हस्ता/–
(प्राधिकृत अधिकारी) ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
(पीएस26/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर अपनी क्षमतानुसार कार्यरत)
दिनांक : 03, नवंबर, 2022
स्थानः मुंबई

पूछताछ में अवैध कारतूसों की तस्करी स्वीकार किया

60 जिंदा कारतूस सहित ग्वालियर का बदमाश गिरफ्त में

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से कारतूस की डिलेवरी देने आए ग्वालियर के बदमाश को गिरफ्त में लिया है। उसके कब्जे से 60 जिंदा कारतूस बरामद हुे हैं। एसीपी गुरुप्रसाद पाराशर के अनुसार क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक युवक एक्टिवा वाहन पर भवरकुआ से नवलक्खा के बीच सर्विस रोड पर किसी को अवैध कारतूस की तस्करी करने वाला है। इस पर पुलिस टीम बताए स्थान पर पहुंची और संदिग्ध युवक को दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम शुभम पिता दिनेश शर्मा, निवासी- शिंदे की छावनी ग्वालियर बताया। आरोपी की तलाशी लेते उसके पास से अवैध 60 कारतूस मिले, जिसके संबंध में वैध लाइसेंस पूछते नही होना बताया। क्राइम ब्रांच टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध कारतूस जप्त कर लिए। आरोपी के खिलाफ अपराध शाखा में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर और पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि आरोपी ने प्रदेश के अन्य शहरों में भी कारतूस सप्लाय करने की बात कबूली है, जिसकी जांच की जा रही है।

फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्लॉट हडपने वाले को 8 साल की सजा

इंदौर। फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्लॉट हड़पने वाले एक आरोपी को जिला कोर्ट ने आठ साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, ने बताया विशेष न्यायाधीश प्रेमपालसिंह ठाकुर, ने थाना संयोजितागंज के केस में निर्णय पारित करते हुए आरोपी उदय कुमार को धोखाधडी की धारओं के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। फरियादी शंकरलाल यादव ने एक लिखित शिकायती आवेदन थाने पर पेश किया था ।

सूने मकान का ताला तोड़ा

इंदौर। दिव्य विहार कालोनी में रहने वाले उमेश पिता नारायणप्रसाद भट्ट परिवार सहित 24 अक्टूबर को बाहर गए थे। कल रात वे लौटे तो मकान का ताला टूटा मिला। घर के अंदर पांच अलमारियां थी, सभी टूटी पड़ी थी यहां घुसे बदमाश अलमारी में रखे नकदी और जेवर चुरा ले गए।

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाऊंड, वेरावल, गुजरात-362266.
शाखा कार्यालय : बेंचमार्क बिजनेस पार्क, 5वाँ तल, ब्लॉक नं. ए-3, स्कीम नं. 54,-पीयू-4, सत्य साँई स्कूल के सामने, विजय नगर, इंदौर-452010

परिशिष्ट IV [सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत]
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जहाँ कहीं,अधोहस्ताक्षरकर्ता, **आदित्य बिड़ला हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्सेट्स एवं इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट एक्ट 2002 (2002 का 54) के साथ सपठित सिक्युरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **ऋणकर्ताओं राजेश कुमार खंडेलवाल, अभिनंदन खंडेलवाल, ओम प्रकाश खंडेलवाल, सत्यानारायण खंडेलवाल, आर के ऑर्गेनाईजेशन, आदित्य खंडेलवाल को दिनांक 22.07.2022 को एक माँग सूचना जारी कर रू. 2,09,06,677.17/– (रुपये दो करोड़ नौ लाख छह हजार छह सौ सतत्तर और पैसे सत्रह मात्र)** का पुर्नभुगतान उपरोक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिवस के भीतर करने हेतु बुलाया गया था।

ऋणकर्तागण राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे है, इस सूचना द्वारा ऋणकर्ताओं एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त नियम के धारा 13 (4) एवं सिक्युरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अंतर्गत उसको/उसकी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **01 नवंबर, 2022** को वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **अधिग्रहण** कर लिया है।

ऋणकर्ताओं/प्रतिभूतिकर्ताओं को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार **रू. 2,09,06,677.17/– (रुपये दो करोड़ नौ लाख छह हजार छह सौ सतत्तर और पैसे सत्रह मात्र)** एवं उस पर देय ब्याज के शुल्क के लिए आदित्य बिड़ला हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड के विषयांतर्गत होगा ।

ऋणकर्ताओं/ प्रतिभूतिकर्ताओं के ध्यानार्थ उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध समय में संपत्ति पुन : प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

"इंदौर पालिका निगम , म्यूनिसीपालिटी नं. 30/2 (पुराना नं. 45), साऊथ तुकोगंज, स्ट्रीट नं. 01, इंदौर (म.प्र.) की भूमि में, एक मल्टीलेवल बिल्डिंग निर्मित "समृद्धि टॉवर" के नाम से ज्ञात, तृतीय तल पर, फ्लैट नं. 302, के सभी भाग व अंश।" निर्मित क्षेत्र मापन 2067 वर्ग फीट अर्थात् लगभग192.10 वर्ग मीटर एवं सीमायें निम्नानुसार : **पूर्व :** एम.ओ.एस शासकीय सड़क, **पश्चिम**–एम.ओ.एस. भवन नं. 31/1, साऊथ तुकोगंज, **उत्तर :** लिफ्ट, सार्वजनिक गलियारा और फ्लैट नं. 301, **दक्षिण :** एम.ओ.एस., डॉ. सालगिया का मकान

तिथि : 01.11.2022
स्थान : इंदौर
प्राधिकृत अधिकारी
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड